प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 1112/1992

अपीलार्थी : धनवार

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ निर्णय

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर **मै सहमत हुं।**

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 08.03.2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 1112/1992

अपीलार्थी : धनवार पिता बैसाखू ढीमर उम्र 30 वर्ष, निवास भाठापारा, मांढर, थाना धरीसींवा, तहसील व जिला रायपुर म.प्र.

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत अपील।

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से श्री रतन पुस्टी, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता।

.....

निर्णय

(दिनांक 08.03.2010 को पारित)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. इस अपील में सत्र न्यायाधीश, रायपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 425/91 में पारित दिनांक 21/10/92 के दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को उसकी पत्नी मृतिका शांति बाई की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध कारित करने और दांडिक मामले के साक्ष्य को छिपाने के लिए दोषसिद्ध करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अपीलार्थी को सिद्धदोष किया गया और आजीवन कारावास तथा 5 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के बिना विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष किया एवं दंडादेश दिया तथा इस प्रकार अवैधता (श्रुटि) कारित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि शांति बाई (मृतिका) जो अपीलार्थी की पत्नी है, अपीलार्थी के साथ मांढर गांव में रहती थी। दिनांक 6/9/91 को शांति बाई (मृतिका) जो अपीलार्थी के साथ उसके घर में उपस्थित थी, अपीलार्थी ने उस पर हमला किया और उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्से पर घातक चोटें पहुंचाईं, चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई, तब अपीलार्थी ने कमरे के अंदर गड्ढा खोदा और शांति बाई के शव को अपने कमरे में दफना दिया। उसने शव को दफनाने के स्थान पर चावल का भूसा भी फैला दिया। उसने अपराध के समय पहने हुए अपने अंतर्वस्त्र घर के अंदर टांग दिए। वह कुदाली और रापा भी ले गया जिससे उसने कमरे में गड्ढा खोदा

था। उसने बाहर का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया और चाबी अपने साथ लेकर घर से भाग गया। रात्रि लगभग 8 बजे अ.सा. 2 लक्ष्मीनारायण साहू पान की दुकान के सामने खड़े थे, उपस्थित अपीलार्थी ने उनसे पान की दुकान के पास पूछा और जब वह अकेले थे तो अपीलार्थी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है और शव को छिपा दिया है, कुछ समय बाद साक्षी अ.सा. 10 कृष्ण कुमार वर्मा पान की दुकान के पास आए, अ.सा. 2 लक्ष्मीनारायण साहू ने अ.सा. 10 कृष्ण कुमार वर्मा को घटना बताई और वे अपीलार्थी के घर के लिए रवाना हुए जब वे अपीलार्थी के घर जा रहे थे तो रास्ते में कोटवार जीवराखन मिले, अपीलार्थी घर में उपस्थित नहीं थे, घर पर ताला लगा था तब अ.सा. 2 लक्ष्मीनारायण साहू कोटवार जीवराखन के साथ चौकी माढर गए और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी-2 के तहत दर्ज कराई। मर्ग प्र. पी-3 के तहत दर्ज किया गया, विवेचना अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हुए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दिनांक 7/9/99 को अपीलार्थी को अभिरक्षा में ले लिया गया, अपीलार्थी का घर बाहर से बंद था। अपीलार्थी ने लकड़ी, अपनी पत्नी की मृत शरीर, अंतःवस्त्र (चड्ढी और बनियान), कुदाली, रापा और ताले की चाबी के बारे में प्रकटीकरण कथन प्र.पी. 8 के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्र. पी-7 के अनुसार अपीलार्थी ने ताले की चाबी प्रस्तुत की, प्र. पी-8 के अनुसार पंचनामा तैयार किया गया, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई चाबी की सहायता से अभियुक्त के घर का ताला खोला गया। ताला और चाबी जब्त कर ली गई। अपीलार्थी को वह स्थान दिखाया गया जहां उसकी पत्नी की मृत शरीर छिपाई गई

थी। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार किया और पाया कि कमरे का फर्श 6 फीट तक खोदा गया था, दरवाजे के पास और दीवार पर सूखा रक्त मिला था, खाट और गद्दे के कवर पर भी रक्त मिला था, कमरे में चावल की भूसी फैली हुई थी। चावल की भूसी को हटाया गया और फैली हुई मिट्टी को भी हटाया गया। शव गड्ढे के अंदर पाया गया। शव के पैर मुड़े हुए थे, शरीर सूजा हुआ था, दुर्घंध आ रही थी, मृत शरीर गड्ढे से मिला था। साक्षीों को बुलाने के बाद प्र. पी-13 के अनुसार, मुत्यु समीक्षा प्र. पी-5 के अनुसार तैयार की गई थी। घटनास्थल से रक्त से सनी और सादी मिट्टी, दीवार से रक्त से सनी और सादी मिट्टी, रक्त से सनी लकड़ी का टुकड़ा, कुदाली और रापा, गद्दे का कवर, अपीलार्थी के रक्त से सने अंतःवस्त्र प्र. पी-6 के अनुसार जब्त किए गए थे। पटवारी ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र. पी-4 के अनुसार तैयार किया था। मृतिका के शव परीक्षण के बाद सीलबंद कपड़े प्र. पी-10 के अनुसार जब्त किए गए थे। मृत शरीर को प्र. पी-12 के अनुसार डी.के. अस्पताल, रायपुर में शव परीक्षण के लिए भेजा गया था। प्र. पी-12 ए के अनुसार अ.सा. 12 डॉ. डी.सी. जैन द्वारा शव परीक्षण किया गया था और निम्नलिखित लक्षण और चोटें पाई गई थीं: -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शरीर का सड़ना शुरू हो गया था। शरीर में गैस होने के कारण शरीर सूज गया था। **(i)**- बाईं जांघ पर 6" **x** 2" का नीलांगू।

(ii)- दाहिनी जांघ पर 6" **x** 2" का नीलांगू।

(**iii**)- बाएं पैर पर 4" **x** 3" का फटा हुआ घाव और पैर की हड्डियों में अस्थिभंग। (**iv**)- खोपड़ी के दाहिने हिस्से पर 3" **x** 2" का फटा हुआ घाव।

(**v**)- सिर के बाएं हिस्से पर 2" **x** 1" का फटा हुआ घाव।

(**vi**)- सिर के दाहिने हिस्से पर 2" **x** 1" का फटा हुआ घाव।

(**vii**)- सिर के बाएं ललाट हिस्से पर 2" **x** 1" का फटा हुआ घाव।

(**viii**)- सिर के दाहिने ललाट हिस्से पर 2" **x** 1" का फटा हुआ घाव।

(**ix**)- पश्चकपाल क्षेत्र पर 1 **½**" **x** 2" का फटा हुआ घाव।

(**x**)- बाएँ और दाएँ ललाट की हड्डी का अस्थिभंग और आंशिक हड्डी का दबा हुआ अस्थिभंग।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**xi**)- मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी और रक्त से भरी हुई थी, मस्तिष्क का भाग भी फटा हुआ भाग पाया गया।

मृत्यु का कारण सिर में चोट लगने के कारण कोमा था और मृत्यु मानव वध प्रकृति की थी।

5. साक्षियों के कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को उपार्पित किया।

6. अपीलार्थी/अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष के साथ-साथ 13 साक्षियों का भी परीक्षण किया गया। अभियुक्त का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध उपलब्ध परिस्थितियों से इंकार किया, निर्दोष होने का और झूठे फसाये जाने का दावा किया।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को सिद्धदोष कर उसे दण्डित किया।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री रतन पुश्टी और प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता को सुना गया। आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पूरी श्रृंखला अपीलार्थी की ओर इंगित करती है, किसी और की ओर नहीं और प्रस्तुत साक्ष्य भी पूर्ण होना चाहिए तथा अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अपीलार्थी के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य साबित नहीं किया है कि अपीलार्थी के पास ताले से बंद घर का एकमात्र कब्जा था और

केवल एक चाबी उपलब्ध थी जो अपीलार्थी से बरामद की गई थी। ऐसे साक्ष्य के अभाव में केवल अपीलार्थी की पत्नी के जघन्य अपराध के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया और यह स्पष्ट किया गया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। अपीलार्थी को अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता, चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, साक्ष्य के बिना मामला साबित नहीं हो सकता। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को सभी संदेहों से परे साबित करना होगा।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सी.के. रवींद्रन बनाम केरल राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियोजन पक्ष का मामला युक्तियुक्त संदेहों के आधार पर साबित नहीं होता है, तो अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि मदिरा पीने के बाद अपीलार्थी द्वारा की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वैच्छिक या सही न्यायिकेत्तर संस्वीकृति नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे **राजस्थान राज्य बनाम काशी राम**[2] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतिका के भाई के समक्ष की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, उस पर विश्वास न होने के कारण, उसकी सुरक्षा की मांग करने में संदेह उत्पन्न करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने

1 (2000) 1SCC 225
2 AIR 2007 SC 144

आगे कहा कि अपीलार्थी के कहने पर बरामद की गई चाबी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने से अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है।

13. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **सखाराम शंकर बनसोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[3] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्षीयों के समक्ष मुकरी हुई संस्वीकृति के मामले में, जिनके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और आचरण संदिग्ध है, तो अन्य परिस्थितियों के अभाव में दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है।

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन**[4] के मामले का भी अवलंब लिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त के कब्जे में वह कमरा था जहाँ पीड़िता का शव मिला था। पीड़िता के एक निकट रिश्तेदार, साक्षी के परिसाक्ष्य कि अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, हेतुक के अभाव में विश्वास के योग्य नहीं, स्टॉक साक्षी के समक्ष किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, जो अभियुक्त को जानता था, अभियुक्त के निशानदेही पर रक्त से सने कपड़े की बरामदगी के संबंध में स्वीकार्य साक्ष्य नहीं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला बनाने में महत्वपूर्ण कड़ियाँ अविश्वसनीय, युक्तियुक्त संदेह से परे साबित न होना, आरोपी की दोषसिद्धि उचित नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

3 AIR 1994 SC 1594
4 AIR 1994 SC 2585

15. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **जगता बनाम हरियाणा राज्य**[5] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक कमजोर साक्ष्य है, यदि इसमें संभाव्यता की कमी है तो इसे अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **नारायण सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[6] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के मामले में, वह समय जब वह स्वीकारोक्ति की गई थी और ऐसे स्वीकारोक्ति के पक्ष में बोलने वाले साक्षियों की विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **धन्य कुमार जैन एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7] के मामले का अवलंब लिया, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एकल साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि के मामले में, यदि साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय और प्रामाणिक हो, तो दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

18. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की श्रृंखला को यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त रुप से साबित कर

---

5 AIR 1994 SC 1545
6 AIR 1985 SC 1678

7 2008 (2) C.G.L.J. 427

दिया है कि अपीलार्थी वह व्यक्ति था जिसने अपराध कारित किया था और अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध कारित नहीं किया है।

19. प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी का घर बंद था और जब उसे खोला गया तो चाबी अपीलार्थी के पास मिली। कमरे के अंदर अपीलार्थी के रक्त से सने अंतःवस्त्र और बनियान मिले। मृतिका का शव भी कमरे के अंदर दफनाया गया था। वर्तमान अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, मृतिका को कमरे के अंदर किसने दफनाया और वह कमरा क्यों बंद करके घर से भाग गया। अपीलार्थी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति भी की, जिससे विश्वास उत्पन्न होता है। अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णायक प्रकृति के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष और दंडिक किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्क को समझने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा घातक मृत्यु-पूर्व चोट के परिणामस्वरूप हुई हत्या का कोई ठोस खंडन नहीं किया गया है, जबकि दूसरी ओर, अभि.सा. 12 डॉ. डी.सी. जैन के साक्ष्य, शव-परीक्षा रिपोर्ट प्र. पी-12-ए द्वारा भी यह प्रमाणित होता है, जिसमें 10 बाहरी चोटें, 4 आंतरिक चोटें पाई गईं, जिनमें मस्तिष्क का फटना, पेराइटल और पश्चकपाल अस्थि का अस्थिभंग और पैर की अस्थि का अस्थिभंग शामिल है। शांति बाई की मृत्यु के लिए चोटें पर्याप्त थीं, क्योंकि

उनकी मृत्यु प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हुई थी और मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी।

21. जहाँ तक प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थी की संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि उस कमरे के ताले की चाबी, जहाँ मृतिका का शव मिला था, अपीलार्थी के रक्त से सने कपड़े, हथियार कुदाली और रापा, के कब्जे के परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि उसकी पत्नी को चोटें कैसे आईं और उसकी मृत्यु कैसे हुई। अपीलार्थी ने साक्षियों के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.2 लक्ष्मीनारायण साहू का परीक्षण किया है, जिसके समक्ष अपीलार्थी ने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अ.सा. 2 लक्ष्मीनारायण साहू ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह कुछ व्यक्तियों के साथ पान की दुकान के सामने खड़ा था, शाम को अपीलार्थी पान की दुकान के पास आया, वह नशे में था, उसने उसे बुलाया और पान की दुकान से कुछ दूरी पर जब वह अपीलार्थी के साथ अकेला था तब अपीलार्थी ने उसे बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसे गिरौध गांव के पास कुएं में फेंक दिया है, तब उसने घटना अ.सा. 10 कृष्ण कुमार वर्मा और कोटवार को बताई, फिर वे पुलिस थाने गए जहां उसने रिपोर्ट प्र. पी-2 और मर्ग प्र. पी-3 दर्ज कराई। इस साक्षी ने अभियोजन पक्ष के मामले के दूसरे भाग का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-6 में उसने स्वीकार किया है कि वह पुलिस

थाने से वापस आया तो उसने देखा कि अभियुक्त एक दर्जी के घर के सामने बैठा था। कुएं के अंदर शव नहीं मिला था। अ.सा. 10 कृष्ण कुमार वर्मा ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है, अभियोजन पक्ष ने उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर दिया है।

23. अ.सा. 1 रामेश्वर यादव ने अपने साक्ष्य में यह अभिकथन किया है कि लक्ष्मीनारायण साहू ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी की पत्नी की मृत्यु हो गई है और अपीलार्थी ने अपनी पत्नी, जो लकवाग्रस्त थी, की हत्या कर दी है। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का आगे समर्थन नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। अ.सा. 13 विश्वास चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र. पी-2) और मर्ग सूचना (प्र. पी-3) की पुष्टि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. मृतिका के भाई अ.सा. 11 हरिराम ने अपने साक्ष्य में कहा है कि तीजा त्यौहार से 3 दिन पहले वह अपीलार्थी के घर गया था, अपीलार्थी का घर अंदर से बंद था, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला तब वह अपीलार्थी के घर के सामने स्थित होटल में गया, 15 मिनट बाद अपीलार्थी अपने घर से आया, वह असामान्य था और पसीने से तर था जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया तब उसने अभियुक्त से पूछा कि उसकी बहन कहाँ है तब अपीलार्थी ने जवाब दिया कि उसकी बहन पिछले 3 दिनों से भाग गई है। उसने यह भी बताया कि उसने बच्चों को कुरा गाँव भेज दिया है जहाँ उसका चाचा रहता है। वह वापस गया और उसके बाद

उसे कृष्णा से पता चला कि अपीलार्थी ने उसकी बहन की हत्या कर दी है तब वह मांढर गाँव आया जहाँ अपीलार्थी के कमरे से मृतिका का शव मिला।

25. अ.सा. 13 विश्वास चंद्राकर, उप-निरीक्षक जिन्होंने विवेचना की है, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि दिनांक 6/9/91 को उन्हें घटना के बारे में पता चला तो तुरंत वे घटनास्थल के निकट गए और उन्होंने अपीलार्थी की खोज की, दूसरे दिन सुबह उन्होंने अपीलार्थी को घटना के स्थान से एक किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास पाया। उन्होंने उसे अभिरक्षा में लिया और पूछताछ की। उन्होंने प्रकटीकरण कथन किया कि उनकी पत्नी कमरे के अंदर गड्ढे में है, उसके अंतःवस्त्र कमरे में लटके हुए हैं, कुदाली और रापा कमरे के अंदर रखे हुए हैं और कमरे की चाबी उनके पास है, जो प्र. पी-7 के अनुसार है। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य में कहा कि वे अपीलार्थी के साथ अपीलार्थी के घर गए, अपीलार्थी के घर पर ताला लगा हुआ था, अपीलार्थी ने चाबी प्रस्तुत की और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई चाबी से उन्होंने ताला खोला और प्र. पी-8 के तहत पंचनामा भी तैयार किया। उन्होंने प्र. पी-6 के तहत कुदाली और रापा, गद्दे का कवर, अंतःवस्त्र, सादी मिट्टी और रक्त से सनी मिट्टी जब्त की। उन्होंने कार्यपालक मजिस्ट्रेट से मृत्यु समीक्षा के लिए अनुरोध किया। अपीलार्थी ने वह स्थान भी बताया जहां मृतिका का शव कमरे के अंदर छिपाया गया था फिर शव को कब्जे में लेने के बाद प्र. पी-5 के तहत मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। उन्होंने शव को शव परीक्षण के लिए भी भेजा। ज्ञापन और जब्ती के साक्षी अ.सा. 8 समारू राम ने अ.सा. 13 विश्वास

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चंद्राकर के साक्ष्य की संपुष्टि की है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी के घर के ताले की चाबी अपीलार्थी के पास थी। अपीलार्थी ने अपने पास मौजूद चाबी से ताला खोला फिर वे कमरे के अंदर गए कमरे के अंदर लगभग 6 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा हुआ मिला। शव को गड्ढे में दफना दिया गया था और मिट्टी और धान की भूसी से ढक दिया गया, और आखिर में उन्होंने मान लिया कि वह लाश उसी की है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया है। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-5 में उसने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी ने ताला खोला था और यह भी स्वीकार किया है कि कमरे के अंदर खोदा गया गड्ढा दिखाई दे रहा था। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-6 में उसने स्वीकार किया है कि तलाशी के दौरान वह बाहर आया था और डेढ घंटे बाद मृतिका का शव कमरे से बाहर निकाला गया था। उसने इस सुझाव से इनकार किया है कि वह कमरे में नहीं गया था। उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि घर में ताला नहीं लगा था और अपीलार्थी ने अपनी चाबी से ताला नहीं खोला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. बचाव पक्ष ने अ.सा. 13 विश्वास चंद्राकर का प्रतिपरीक्षण किया, अपने विस्तृत प्रतिपरीक्षण में उसने कंडिका -8 में स्वीकार किया है कि अ.सा. 8 समारू राम विवेचना के दौरान अपीलार्थी के घर के अंदर से बाहर नहीं गया था। बचाव पक्ष ने इस साक्षी का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया लेकिन वह उसके प्रतिपरीक्षण में उसके परिसाक्ष्य को विशेष रूप से घर की चाबी के कब्जे विषय में गलत सिद्ध नहीं कर सका । उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने चाबी निकाली और उसने ताला खोला था, जबकि

अ.सा. 8 समारू राम ने अपने परिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त के पास ताले की चाबी थी और अभियुक्त ने स्वयं ताला खोला था। इस साक्षी के परिसाक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अभियुक्त का घर बाहर से बंद था। अभियुक्त के पास चाबी थी और अपीलार्थी के पास जो चाबी थी उसी की सहायता से ताला खोला गया था। इस तथ्य से संबंधित कुछ विसंगति है कि ताला किसने खोला था। अ.सा. 8 समारू राम एक ग्रामीण है उसे न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है।उन्होंने विशेष रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब गड्ढे के बाहरी हिस्से से चावल की भूसी को हटाया गया तो अत्यंत दुर्गंध आई। मृतिका का शव दिखाई दिया तो वह कमरे से बाहर आए और डेढ़ घंटे बाद शव को घर से बाहर निकाला गया। इस साक्षी का परिसाक्ष्य स्वाभाविक है। सभी लोगों के लिए अत्यंत दुर्गंध, खासकर शव की दुर्गंध वाले वातावरण में रहना संभव नहीं है लेकिन इस साक्षी ने यह नहीं कहा है कि वह अपीलार्थी के घर में नहीं गया और उसने घर के अंदर मिली चीजों को नहीं देखा, जिसमें मिट्टी और चावल की भूसी से ढका हुआ मृतिका का दफना हुआ शव भी शामिल है। दोनों साक्षियों के परिसाक्ष्य विश्वास और विश्वसनीयता को प्रेरित करती है कि अपीलार्थी के घर के ताले की चाबी अपीलार्थी के पास थी और अपीलार्थी ने ताले की चाबी पेश की। अपीलार्थी द्वारा दी गई चाबी की सहायता से ताला खोला गया और जब वे घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें अपीलार्थी के अंतःवस्त्र, कुदाली, रापा, रक्त से सनी मिट्टी, रक्त से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सनी दीवार, रक्त से सनी लकड़ी, मिट्टी और चावल की भूसी से ढकी हुई मृतिका शांति बाई की दफनाई हुई लाश मिली।

27. जैसा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया, घर पर केवल अपीलार्थी का कब्जा नही था, इसलिए कोई भी दायित्व केवल अपीलार्थी पर नहीं लगाया जा सकता। संयुक्त कब्जे के मामले में दायित्व केवल एक व्यक्ति पर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वर्तमान मामले में मृतिका के भाई, अ.सा. 11 हरिराम के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब उसने अपीलार्थी का दरवाजा खटखटाया, उस समय दरवाजा अंदर से बंद था। 15 मिनट बाद अपीलार्थी इस साक्षी के पास आया, वह सामान्य नहीं था और पसीने से तर था। उसने स्पष्टीकरण दिया कि उसकी पत्नी पिछले 3 दिनों से भाग गई है और उसने अपने बच्चों को अपने चाचा के पास भेज दिया है। इससे पता चलता है कि उस दिन घर अपीलार्थी के अनन्य कब्जे में था। बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि घर अन्य व्यक्तियों द्वारा बंद किया गया था और अपीलार्थी को किसी अन्य व्यक्ति से चाबी मिली थी या अपीलार्थी ने घर को तब बंद किया था जब उसके बच्चे, माँ और अन्य रिश्तेदार घर के अंदर थे, इसलिए यह मानना मुश्किल है कि घटना के दौरान अन्य बातों के अलावा उन व्यक्तियों का भी घर पर कब्जा था, केवल यह अनुमान ही विधिक कब्जा होगा कि केवल अपीलार्थी ही उस घर के कब्जे में था जिसे उसने बंद किया था और चाबी उसके कब्जे में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अ.सा. 13 विश्वास चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक के साक्ष्य के अनुसार दिनांक 6/9/91 की रात को अपीलार्थी के घर के पास डेरा डाले हुए थे, लेकिन वह अपने घर में उपस्थित नहीं थे। दूसरे दिन सुबह-सुबह उन्हें घटना स्थल से एक किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन पर पाया गया। अपीलार्थी घर का मालिक था और कमरे की चाबी उसके पास थी। अपने घर में रहना उसका स्वाभाविक आचरण हो सकता था, लेकिन अपने घर में रुकने और रात बिताने के बजाय, उसने रात अपने घर के बाहर बिताई, किसी अन्य व्यक्ति के घर में नहीं। यह आचरण इस तथ्य की भी पुष्टि करता है कि अपीलार्थी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने घर पर ताला लगा रखा था और घर पर उसका पूर्ण कब्ज़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. वर्तमान मामले में अ.सा.2 लक्ष्मीनारायण साहू ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उनके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की है लेकिन प्रतिपरीक्षण के कंडिका 9 में उन्होंने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी की भाषा स्पष्ट नहीं थी, वे यह समझने में सक्षम नहीं थे कि अपीलार्थी ने उन्हें क्या बताया क्योंकि वह नशे में था, ध्वनि स्पष्ट नहीं थी लेकिन वे केवल इस तथ्य को समझ पाए कि अपीलार्थी ने कहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की है, यह अ.सा.2 लक्ष्मीनारायण साहू के समक्ष अतिरिक्त मुकरी हुई न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का मामला है। अ.सा.2 लक्ष्मीनारायण साहू ने कुछ भी नहीं कहा है कि अपीलार्थी ने उनके समक्ष ऐसी स्वीकारोक्ति क्यों की, क्या अपीलार्थी की रक्षा के लिए आंतरिक विश्वास की सीमा तक उनके बीच पहले से संबंध थे, ऐसा प्रतीत होता

है कि वर्तमान साक्षी अपीलार्थी के बहुत निकट या निकट भी नहीं था और अपीलार्थी इन परिस्थितियों में नशे में था जैसा कि **सखाराम शंकर बनसोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, राजस्थान राज्य बनाम काशी राम, जगता बनाम हरियाणा राज्य और नारायण सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (पूर्वोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। वर्तमान मामले में कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वर्तमान मामले में अभि.सा.11 हरिराम और अभि.सा.8 समारू राम के साक्ष्य द्वेष और अपराध के कारण के प्रश्न पर विश्वास उत्पन्न् करते हैं। अभि.सा.11 हरिराम का साक्ष्य प्रासंगिक है, जिसने अभि.सा.8 समारू राम, अभि.सा.11 हरिराम और अभि.सा.13 विश्वास चंद्राकर के साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को पीटता था। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के विरुद्ध निम्नलिखित परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) उसके अपनी पत्नी शांति बाई के साथ अच्छे संबंध नहीं थे,

(ii) वह शांति बाई के साथ घर में रह रहा था,

(iii) दिनांक 6.9.91 को घर पर ताला लगा हुआ पाया गया,

(iv) अपीलार्थी दिनांक 6.9.91 को और दिनांक 6.9.91 व 7.9.91 की मध्य रात्रि को भी अपने घर पर उपस्थित नहीं था,

(v) घर की चाबी अपीलार्थी के पास नहीं थी,

(vi) अपीलार्थी को दिनांक 7.9.91 की सुबह उसके घर से एक किलोमीटर दूर अभिरक्षा में लिया गया,

(vii) अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई चाबी से घर का ताला खोला गया,

(viii) शांति बाई का शव दफन की गई अवस्था में पाया गया,

(ix) मृतिका के शव पर घातक चोट, सिर की हड्डी में अस्थिभंग सहित 10 बाहरी और 4 आंतरिक चोटें पाई गईं,

(x) अपीलार्थी ने गिरफ्तारी के बाद भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है क्योंकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत दायित्व निर्वहन हेतु, उसकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, जिससे उसे चोटें आईं, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(xi) अपीलार्थी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि कमरा किसने बंद किया था और चाबी उसके पास कैसे थी।

यदि उपरोक्त परिस्थितियों को एक साथ देखा जाए तो हमारी राय में यह पूरी श्रृंखला है और/या अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराधी होने के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के साथ संगत नहीं है, जैसा कि **सी.के. रवींद्रन बनाम केरल राज्य (पूर्वोक्त)** के मामले में कहा गया है, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह के घेरे से परे साबित नहीं किया है।

30. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी के अपराध के निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी की हत्या कारित का अपराध किया है और मृतिका के शव को छुपाया है।

31. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अंतर्गत सिद्धदोष किया है। अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दण्डादेश वैध, निर्णायक और विधि के अंतर्गत विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित है।

32. साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखती जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अपील में कोई सार नहीं है। परिणामस्वरूप, दांडिक अपील खारिज किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश
08.03.2010

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश
08.03.2010

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Angel Kujur, Advocate